सं. 36033/1/2013-स्था.(आरक्षण)

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

*****

नई दिल्ली, 27,मई, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषयः सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों (नवोन्नत वर्ग) को अन्य पिछड़े वर्गों (अपिव) के आरक्षण के दायरे से बाहर रखने के लिए आय के मानदंड में संशोधन ।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था. (एससीटी) की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि लगातार तीन वर्षों तक एक लाख या उससे अधिक सकल वार्षिक आय वाले व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियाँ नवोन्नत वर्ग के दायरे में आएंगे और वे अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे । नवोन्नत वर्ग के निर्धारण हेतु उपर्युक्त आय सीमा को बाद में 2.5 लाख रुपए और 4.5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया और तदनुसार दिनांक 8 सितम्बर 1993 के कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची की श्रेणी-ए के अंतर्गत "एक लाख रुपए" की अभिव्यक्ति को इस विभाग के दिनांक 9.3.2004 और 14.10.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था (आरक्षण) द्वारा संशोधित कर क्रमशः "रुपए 2.5 लाख" और "रुपए 4.5 लाख" कर दिया गया था ।

2. अब, अन्य पिछड़े वर्गों में नवोन्नत वर्ग के निर्धारण हेतु वार्षिक आय सीमा 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार, इस विभाग के दिनांक 8 सितम्बर 1993 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची की श्रेणी-VI के अंतर्गत "4.5 लाख रुपए" की अभिव्यक्ति को "छह लाख रुपए" से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

3. इस कार्यालय ज्ञापन के प्रावधान 16 मई 2013 से प्रभावी हैं ।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन की विषयवस्तु को सभी संबंधितों के ध्यान में लाए जाए ।

(शरद कुमार श्रीवास्तव)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

2.. वित्त सेवा विभाग, नई दिल्ली

3. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली

4. रेलवे बोर्ड , नई दिल्ली

5. संघ लोक सेवा आयोग/उच्चतम न्यायालय/चुनाव आयोग/लोकसभा सचिवालय/राज्यसभा सचिवालय/मंत्रिमंडलीय सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजाना आयोग

6. कर्मचारी चयन आयोग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली

7. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

8. अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग/अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली

9. पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, त्रिकुट -1, भीकाजी कामा प्लेस, आर. के. पुरम, नई दिल्ली

10. महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

11. सूचना एवं सुविधा केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (100 प्रतियां)

12. एनआईसी. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को इस अनुरोध के साथ कि वे इस विभाग की वेबसाइट पर OMs & orders > Estt.(Res.) > SC/ST/OBC तथा 'What's New' पर इसे अपलोड कर दें।

प्रतियां पेषित :

सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु ।